शिक्षा विभाग,बिहार सरकार

Website :- www.dietkhagaria.in

सेवा पूर्व डी0 एल0 एड0 प्रशिक्षण सत्र 2020–22 के निर्धारित 150 सीटों के विरूद्व तृतीय चयन सूची संस्थान के वेबसाईट पर प्रकाशित कर दी गई है। नामांकन हेतु अभ्यार्थियों का चयन उनके नामांकन के पात्रता का घोतक है, नामांकन की अनिवार्यता का नहीं। चयनित अभ्यार्थी दिनांक 14/02/2021 को 10:00 AM से 3:00 PM तक तथा 15.02.2021 को 2:00 PM तक कार्यालय के कार्य दिवसों में नामांकन लिया जायेगा तथा 15.02.2021 को 2:15 PM के बाद बची हुई रिक्त सीट पर प्रतिक्षा सूची से नामांकन लिया जायेगा। अभ्यर्थी निम्न अभिलेखों/दस्तावेजो के साथ संस्थान में नामांकन कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं लेने की स्थिति में अभ्यर्थी का नामांकन दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा। नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थी के पिंट आवेदन पत्र के प्रविष्टियों का उनके मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन के उपरांत ही उसी समय उन्हे पेमेंट लिंक उपलब्ध कराया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित नामांकन शुल्क संस्थान के वेबसाईट पर ऑनलाईन भुगतान कर भुगतान रसीद कार्यालय में निर्धारित समय के अन्तर्गत जमा कराना होगा जिसके बाद ही उनके नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होगी।

नामांकन के समय निम्न मूल प्रमाण–पत्रों एवं शर्तो के साथ उपस्थित होंगें–

1. ऑनलाईन आवेदन प्रिंट की प्रति।
2. मैट्रिक परीक्षा पास करने का मूल प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र।
3. इंटर परीक्षा का मूल अंक एवं प्रमाण–पत्र।
4. आवासीय प्रमाण पत्र का मूल प्रति। (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो)
5. आरक्षित कोटि एवं विशेष आवश्यकता वाले अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जाति/विकलांगता प्रमाण–पत्र की मूल प्रति। एवं शपथ–पत्र **(Notary Public)**
6. अंतिम शिक्षण संस्थान से निर्गत महाद्यियल परित्याग प्रमाण–पत्र। (अनिवार्य रूप से) इसके बिना नामांकन नही होगा।
7. शिक्षण शुल्क के रूप में सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 11500/–(ग्यारह हजार पाँच सौ रूपये) एवं अनुसूचित जाति जन जाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थी 7000/–(सात हजार रूपये) शुल्क का भुगतान ऑनलाईन होगा।
8. सभी मूल प्रमाण–पत्र की स्वाअभिप्रमाणित छायाप्रति का दो सेट, तीन पासपोर्ट साईज फोटो एवं सभी मूल प्रमाण–पत्र एवं अभिलेख दो फाईल फोल्डर में जमा करेंगें।
9. सत्यापन के क्रम में प्रमाण पत्रों में फर्जी पाये जाने की स्थिति में नामांकन के दावे को रदद् करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
10. अभ्यर्थी द्वारा नामांकन शुल्क के रूप में जमा की गयी राशि किसी भी स्थिति मे वापस नही की जाएगी।
11. स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र (रजिस्टर्ड चिकित्तक के द्वारा)
12. उपर्युक्त सभी शर्तो को पूरा करने पर आपका नामांकन औपबंधिक रूप से किया जायेगा।

नोट :– महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र **(CLC)** मूल **(Original)** रूप में नामांकन के समय लाना अनिवार्य है।

प्राचार्य के आदेशानुसार
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट)
रामगंज संसारपुर, खगड़िया